कम्प्यूटर परिपत्र सं०-151604/ दिनांक 29-09-2015

पत्रांक / विधि-4(/) 3(2) /2015-16/ 1376 वाणिज्य कर

कार्यालय कमिश्नर , वाणिज्य कर, उ0प्र0,
(विधि अनुभाग)
दिनांक : सितम्बर 23 2015

समस्त
जोनल एडीशनल कमिश्नर,/एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-2(वि.अनु.शा.)
ज्वाइण्ट कमिश्नर (कार्य पालक) / (वि.अनु.शा.)
वाणिज्य कर उत्तर प्रदेश

जैसा कि आपको विदित है, कि उत्तर प्रदेश राज्य में जनसंख्या के आधार पर कुल पंजीकृत व्यापारी का औसत अन्य राज्यों की तुलना में अत्यन्त कम है। शासन द्वारा संगत वित्तीय वर्ष 2015-16 हेतु वाणिज्य कर विभाग में कुल 1.25 लाख व्यापारियों को पंजीकृत कराये जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है । चूंकि door to door survey में अनेक कठिनाईयॉ उत्पन्न होती हैं एवं व्यापारियों के विरोध का भी सामना करना पड़ सकता है । अत: इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु यह आवश्यक है कि अपंजीकृत व्यापारियों के संबंध में विभिन्न स्रोतों से सूचनाएं प्राप्त की जायें तथा खण्ड कार्यरत वाणिज्य कर अधिकारी एवं असिस्टेन्ट कमिश्नर द्वारा स्वयं भी सूचनाएं संकलित की जायें । तद्नुसार पंजीयन योग्य व्यापारियों को चिन्हित करते हुए उन्हे पंजीकृत कराना सुनिश्चित किया जाये । इस संबंध में निर्देश दिये जाते हैं कि ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक) द्वारा निम्न विभागों से उनके यहां पंजीकृत व्यापारियों/प्रतिष्ठानों की सूची प्राप्त की जाए ।

1- केन्द्रीय सेवा कर विभाग (सेन्ट्रल एक्साइज विभाग) में सेवाकर दाता होटल, रेस्टोरेण्ट, टेण्टेज व अन्य, व्यापारिक प्रतिष्ठान ।
2- औषधि नियंत्रक में पंजीकृत दवाई की दुकानें (केमिस्ट/ड्रगिस्ट आदि)
3- श्रम विभाग तथा बॉट एवं माप विभाग में Shop Act के अन्तर्गत पंजीकृत दुकानों की सूचना ।
4- विद्युत विभागों से वाणिज्यिक कनेक्शन प्राप्त करने वाले व्यापारिक प्रतिष्ठानों/व्यक्तियों की सूचना ।
5- विभिन्न गैस एजेन्सी/जिलापूर्ति अधिकारी से वाणिज्यिक गैस कनेक्शन प्राप्त करने वाले व्यापारिक प्रतिष्ठानों /व्यक्तियों की सूचना ।
6- स्थानीय निकायों जैसे - नगर निगम , नगर पालिका, नगर पंचायत आदि में वाणिज्यिक दर पर संपत्ति करदाता की सूचना ।
7- विकास प्राधिकरणों, लोक निर्माण विभाग / अवास विकास परिषद /स्थानीय निकायों से बिल्डर्स व ठेकदारो एवं आपूर्तिकर्ताओं की सूचना ।
8- जिलापूर्ति अधिकारी/मण्डी परिषद एवं खाद्य नियंत्रक के यहां पंजीकृत गल्ला, तेल, घी, केरोसिन के व्यापारी ।

उक्त के अतिरिक्त अन्य विभागों/संभावित स्रोतों से उनके यहॉ कार्यरत/पंजीकृत व्यापारियों की उपलब्ध सूची प्राप्त करके उसका मिलान वाणिज्य कर विभाग में पंजीकृत व्यापारियों से किया जाये तथा इनमें से अपंजीकृत पाये गये व्यापारियों का रिकार्ड खण्डवार एक मास्टर रजिस्टर तैयार करते हुए उनमें रखा जाए । प्रत्येक खण्ड स्तर पर एक मास्टर रजिस्टर निम्न प्रारुप में रखा जाये :

क्र0 सं0	व्यापारिक प्रतिष्ठान का नाम व पता /लोकेशन	मुख्य विपणन व्यापारिक वस्तुओं के नाम	स्वामी/साझीदारो के नाम व पते (यदि ज्ञात हों)	अन्य विभागों के नाम जिसमें प्रतिष्ठान पूर्व से पंजीकृत हो	अनुमानित व्यापारिक स्टेट्स (वार्षिक टर्नोवर)	पंजीयन के प्रयास	पंजीकृत हो जाने की स्थिति में टिन नम्बर
1							
2							
3							

उपरोक्त निर्धारित प्रारुप पर मास्टर रजिस्टर खण्ड स्तर पर वाणिज्य कर अधिकारी द्वारा तैयार कराया जायेगा तथा प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर किये जायेंगे एवं असिस्टेन्ट कमिश्नर द्वारा उसका अवलोकन सोमवार, बुधवार, शुक्रवार को किया जायेगा। खण्ड प्रभारी डिप्टी कमिश्नर द्वारा भी सप्ताह में एक दिन तथा ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक) द्वारा माह में कम से कम एक बार इसका अवलोकन किया जाये। विभिन्न राजकीय विभागों, अर्धसरकारी विभागों, संस्थानों, स्थानीय निकायों, निगमों आदि से प्राप्त सूचना का मिलान खण्ड स्तर पर उपलब्ध पंजीकृत व्यापारियों की सूची से करते हुए अपंजीकृत पाये गये व्यापारियों का इन्द्राज इस रजिस्टर में किया जाये तथा वाणिज्य कर अधिकारी एवं असिस्टेन्ट कमिश्नर द्वारा व्यापार मण्डलों के सहयोग से प्राप्त एवं स्वयं के प्रयास से सूचनायें संकलित करते हुए अपंजीकृत पाये गये व्यापारियों का इन्द्राज भी इस रजिस्टर में किया जायेगा। उक्त मास्टर रजिस्टर के आधार पर यदि व्यापारी पंजीयन योग्य सीमा से अधिक का पाया जाता है तो उसे पंजीयन के प्राविधानों से अवगत कराते हुए संलग्न प्रारुप में एक सूचना जारी की जायेगी जिसमें पंजीयन की विधिक प्रक्रियाओं, पंजीकृत व्यापारियों को वाणिज्य कर विभाग से मिलने वाले लाभ एवं पंजीयन न लेने की स्थिति में अर्थदण्ड के प्राविधानों आदि से अवगत कराते हुए उन्हें पंजीयन प्राप्त करने के लिये कहा जायेगा। यदि संबंधित व्यापारी /प्रतिष्ठान द्वारा सूचना प्राप्त करने के **एक सप्ताह के अन्दर** पंजीयन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो ऐसी दशा में खण्ड के वाणिज्य कर अधिकारी/असिस्टेन्ट कमिश्नर द्वारा व्यापार स्थल की जांच करते हुए नियमानुसार उ0प्र0मूल्य संवर्धित कर अधिनियम के अन्तर्गत आवश्यक विधिक कार्यवाही की जायेगी। बड़े एवं चिन्हित मामलों में यह जांच वि.अनु.शा. के सहयोग से भी कराई जा सकती है तथा क्षेत्र संवेदनशील होने पर जिलाधिकारी/जिलाप्रशासन से सहयोग लिया जा सकता है। अधिक से अधिक व्यापारियों को पंजीकृत कराने के लिये यह भी आवश्यक है कि जिलाधिकारी की अध्यक्षता में अलग अलग व्यवसाय करने वाले विभिन्न व्यापारिक संगठनों /प्रतिनिधियों के साथ बैठक करके उनके सदस्यों की सूची प्राप्त की जाए तथा अपंजीकृत व्यापारियों को पंजीकृत कराने के संबंध में उनसे अनुरोध किया जाये। इस संबंध में जोनल एडीशनल कमिश्नर द्वारा स्वयं विभिन्न व्यापारिक संघो से बैठक कर उनका भी सहयोग प्राप्त किया जाए। विभिन्न स्रोतों से सूचनायें प्राप्त करने का कार्य तथा विभिन्न व्यापारिक प्रतिनिधि मण्डलों/प्रतिनिधियों से बैठक करने का कार्य शीघ्र पूर्ण कर लिया जाए जिससे माह अक्टूबर 2015 के आरम्भ से ही अपंजीकृत व्यापारियों को पंजीकृत कराये जाने हेतु एक अभियान के रुप में कार्य किया जा सके।

इस संबंध में यह भी आवश्यक है कि **प्रथम चरण में** फर्नीचर विक्रेता, होटल्स, रेस्टोरेन्ट्स, मिठाई विक्रेता, बिल्डिंग मैटेरियल विक्रेता, टेन्ट कनात तथा कैटरिंग आदि का कार्य करने वाले व्यापारियों को पंजीकृत कराने पर विशेष बल दिया जाए। **द्वितीय चरण** में विभिन्न बिजली के सामानों, इलेक्टिानिक गुड्स, स्टेशनरी गुड्स, रेडीमेड गार्मेण्ट्स आदि के विक्रेताओं को पंजीकृत कराने के प्रयास किये जाएं एवं **तृतीय चरण** में फैब्रीकेटर्स, किराना, जनरल मर्चेण्ट्स, आदि का व्यापार करने वालों को पंजीकृत कराने पर बल दिया जाये।

खण्डवार नये पंजीयन प्राप्त करने वाले व्यापारियों की समीक्षा प्रति सप्ताह जोन के एडीशनल कमिश्नर द्वारा की जायेगी।

उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से समयबद्ध अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

संलग्नक : सूचना का प्रारुप।

23/09/15

(मुकेश कुमार मेश्राम)
कमिश्नर,वाणिज्यकर,
उत्तर प्रदेश।

कार्यालय का नाम :.....खण्ड .....

संख्या : दिनांक :

सर्वश्री .....

.....

.....

: सूचना :

आप द्वारा.....(पते पर स्थित दुकान/व्यापारिक प्रतिष्ठान में .....की खरीद/निर्माण/बिक्री का व्यापार किया जाता है । उ0प्र0मूल्य संवर्धित कर अधिनियम 2008 की धारा-3 के प्राविधानों के अनुसार रु0 5 लाख से अधिक वार्षिक टर्नोवर होने अथवा प्रान्त बाहर से माल की खरीद / बिक्री किये जाने पर उक्त अधिनियम के अन्तर्गत पंजीयन लिया जाना अनिवार्य है । विभिन्न स्रोतो से प्राप्त सूचना एवं आपकी व्यवसायिक स्थिति आदि तथ्यों से आपका व्यापार उक्त सीमा से अधिक प्रतीत होता है किन्तु अभिलेखानुसार आप द्वारा वाणिज्य कर विभाग में पंजीयन प्राप्त नहीं किया गया है । अत: आपको निर्देशित किया जाता है कि आप तत्काल पंजीयन हेतु विभागीय वेबसाइट **comtax.up.nic.in** पर **Online** आवेदन प्रस्तुत करें । आपको यह भी अवगत कराना है कि विभाग द्वारा पंजीयन की प्रक्रिया को अत्यन्त सरलीकृत कर दिया गया है तथा गैर संवेदनशील वस्तुओं हेतु विभागीय वेबसाइट **comtax.up.nic.in** पर **Online** आवेदन करने के 24 घंटे के अन्दर TIN जनरेट किये जाने की व्यवस्था की गयी है । **Online** आवेदन के साथ निम्न अभिलेखों की स्वप्रमाणित प्रतियाँ स्कैन कर अपलोड किये जाने पर आसानी से आपको टिन रजिस्ट्रेशन नियत समय पर घर बैठे प्राप्त करा दिया जायेगा।

(1) पैन की प्रति

(2) स्वामी/साझेदारों के व्यक्तिगत पहचान पत्रों (मतदाता पहचान पत्र, पैन, पासपोर्ट, बैंक पास बुक आदि में से किसी एक अभिलेख की प्रति)

(3) निवास स्थल के पते से संबंधित साक्ष्य (पंजीकृत विक्रय पत्र अथवा किरायानामा, बिजली बिल, रेवेन्यू विभाग द्वारा जारी प्रमाण पत्र , सम्पत्ति कर की रसीद अथवा टेलीफोन बिल आदि में से किसी एक अभिलेख की प्रति)

(4) व्यापार स्थल के पते के साक्ष्य संबंधी प्रपत्र की प्रति (पंजीकृत विक्रय पत्र अथवा किरायानामा, बिजली बिल, रेवेन्यू विभाग द्वारा जारी प्रमाण पत्र, UPSIDC अथवा DIC या विकास प्राधिकरण द्वारा जारी प्रमाण पत्र/मीटर सीलिंग सर्टीफिकेट की प्रति)

(5) स्वामित्व से अन्यथा स्थिति में व्यापारिक इकाई के गठन (Constitution) संबधी प्रपत्र की प्रति ।

उक्त अभिलेखों की सूची विभागीय वेबसाइट comtax.up.nic.in पर भी उपलब्ध है ।

<u>वाणिज्य कर विभाग में पंजीकृत व्यापारियों को उपलब्ध सुविधाएं</u> :-

(1) रु0 5 लाख का दुर्घटना बीमा ।

(2) पंजीकृत व्यापारी से एवं पंजीकृत व्यापारी को टैक्स इन्वायस के माध्यम से खरीद/बिक्री की सुविधा एवं उस पर आई0टी0सी0 के लाभ की अनुमन्यता ।

(3) रु0 50 लाख वार्षिक तक प्रान्तीय खरीद/बिक्री की स्थिति में टर्नोवर के 0.5% जमा कर **(Compounding Scheme)** की पात्रता ।

(4) रु0 50 लाख वार्षिक टर्नोवर होने पर Deemed कर निर्धारण ।

(5) Online रिटर्न दाखिल करने एवं अन्य सभी प्रार्थनापत्र Online दाखिल करने की सुविधा ।

उल्लेखनीय है कि पंजीयन योग्य सीमा से अधिक होने पर बिना पंजीयन व्यापार करना उ0प्र0मूल्य संवर्धित कर अधिनियम की धारा 54(1)(7) के अन्तर्गत दण्डनीय है तथा इसके लिये रु0 100/- प्रतिदिन के हिसाब से अर्थदण्ड आरोपित किया जा सकता है ।

अत: आपको निर्देश दिये जाते है कि उक्त सूचना/नोटिस प्राप्त होने के 7 दिन के अन्दर पंजीयन हेतु Online आवेदन पत्र प्रस्तुत करें तथा पंजीकृत व्यापारी के रुप में वाणिज्य कर विभाग द्वारा प्रदत्त सुविधाओं का लाभ उठायें ।

खण्ड के अधिकारी का नाम

पद नाम

मोहर